



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410]
No. 410]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 1998/कार्तिक 1, 1920
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 1998/KARTIKA 1, 1920

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग
आदेश

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 1998

सा. का. नि. 638(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किरोसिन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (क) इस आदेश में किरोसिन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) (संशोधन) आदेश 1998 कहा जाए।
(ख) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. किरोसिन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 में,
(क) खण्ड 2 में मद (ज) में "आयात" शब्द के स्थान पर "आयात, भंडार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,
(ख) खण्ड 2 में मद (झ) में "आयात" शब्द के स्थान पर "आयात, भंडार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,
(ग) खण्ड 3 के बाद निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—
"3क समानान्तर विपणन प्रणाली के तहत आयातित किरोसिन की बिक्री और उपयोग पर निर्बन्धन: कोई भी व्यक्ति समानान्तर विपणन प्रणाली के तहत आयातित किरोसिन का ईंधन और किसी मोटर वाहन में ईंधन के योगज के रूप में बिक्री अथवा उपयोग नहीं करेगा।"
"3ख अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा किरोसिन की बिक्री पर निर्बन्धन: डीलर अथवा सरकारी तेल कंपनी अथवा समानान्तर विपणनकर्ता के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को किरोसिन नहीं बेचेगा।"
(घ) (1) खण्ड 7 में मद (ग) के बाद निम्नलिखित मर्दे अन्तःस्थापित की जाएंगी, नामतः:
(घ) समानान्तर विपणनकर्ता को उन औद्योगिक उपभोक्ताओं से जिनको यह किरोसिन की बिक्री करता है; अंतिम उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा तथा मासिक आधार पर राज्य नागरिक आपूर्ति प्राधिकारियों, जिस नाम से भी उनको जाना जाए, को ग्राहकवार बिक्रियों का ब्यौरा भी प्रस्तुत करेगा।"
(ङ) समानान्तर विपणनकर्ता सुनिश्चित करेगा कि आयातित किरोसिन पतन विशेष पर भण्डारण की बुनियादी सुविधाओं को सौंपे जाने अथवा किसी व्यक्ति को बिक्री किए जाने से पहले भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश संख्या आई एस-1459 की अपेक्षाएं सभी दृष्टियों से पूरी करता है।"
(2) मद (क) में "आयात" शब्द के लिए "आयात, भण्डार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,
(ङ) खण्ड 7क में—
(1) उपखण्ड (1) में, मद (क) में "आयात" शब्द के लिए "आयात, भण्डार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

- (2) उप खण्ड (1) में, मद (क) में परन्तुक को हटा दिया जाएगा,
(च) खण्ड-11 के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"11. छूट देने की शक्ति:

केन्द्रीय सरकार, यदि जनहित में आवश्यक समझे तो सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग को उर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जा सकने वाली शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन, इस आदेश के सभी अथवा किसी उपबंध से छूट दे सकती है।"

[फा. सं. पी-11013/3/98-वितरण]

देवी दयाल, अपर सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य-आदेश दिनांक 2 सितम्बर, 1993 के सा.का.नि. संख्या 584 (ई) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था

1. सं. सा. का. नि. 509 (ई) दिनांक 19-6-1995
2. सं. सा. का. नि. 126 (ई) दिनांक 12-3-1996

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 21st October, 1998

G.S.R. 638(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Order 1993, namely :—

1. (a) This order may be called the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) (Amendment) Order 1998.

(b) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Order 1993,—

- (a) in clause 2, in item (h), for the word "importing" the words "importing, storing" shall be substituted;
- (b) in clause 2, item (i), for the word "imports" the words "imports, stores" shall be substituted;
- (c) after clause 3, the following clauses shall be inserted, namely,—

"3A Restriction on sale and use of Kerosene imported under Parallel Marketing System :—

No person shall sell or use Kerosene imported under the parallel marketing system as a fuel or as additive to the fuel in a motor vehicle"

"3B Restriction on sale of kerosene by persons not authorised :—

No person other than the dealer or Government Oil Company or parallel marketer shall sell Kerosene to any person"

(d) (i) In clause 7,—after item ©, the following items shall be inserted, namely :—

(d) The Parallel Marketeer shall file End Use Certificates from industrial consumers to whom he sells the Kerosene and also furnish customer-wise sales to the State Civil Supplies Authorities by whatever name called, on a quarterly basis"

(e) The Parallel Marketeer shall ensure that quality checks are carried out to ensure that Kerosene meets Bureau of Indian Standards Specification No. IS-1459 in all respects before the imported Kerosene is discharged into the storage infrastructure at the port or sold to any person";

(ii) in item (a) for the word "import", the words "import, store" shall be substituted;

(e) in clause 7A,—

(i) in sub clause (1), in item (a), for the word "import", the words "import, store" shall be substituted;

(ii) in sub clause (1), in item (a), the proviso shall be omitted;

(f) for clause 11 the following clause shall be substituted, namely :—

"11. Power to exempt :—

The Central Government, if it considers necessary in public interest by notification in the Official Gazette, exempt any person or class of persons from all or any of the provisions of this order, subject to such conditions, if any, as may be specified in that notification."

[File No. P-11013/3/98-Dis
DEVI DAYAL, Addl. Secy]

FOOT NOTE :— The Principal Order was published in the Gazette of India vide No. GSR 584(E) dated the 2nd September 1993 and subsequently amended vide :—

1. No. GSR 509(E), dated 19th June, 1995.
2. No. GSR 126(E), dated 12th March, 1996.